वित्त निर्देश 3/2026

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.RULE/478/2025-FINANCE, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/ 01 /2026
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-राज्य शासन के शासकीय सेवकों का पुनरीक्षित वेतनमान-2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान-2009 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 25.08.2025 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 सितम्बर, 2025 से सातवें वेतनमान में 55% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 252% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जायेः-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2026	3%	58%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2026	5%	257%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि:-

1. उक्त निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह जनवरी, 2026 से देय होगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

5. यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

6. इस आदेश के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Indra Prakash Ratre
Date: 14-01-2026
15:36:50

(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.RULE/478/2025-FINANCE, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/ 01 /2026
प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव,लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6.. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर,

छत्तीसगढ़

21. संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण शाला, दुर्ग, छत्तीसगढ़
22. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
24. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

25. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

Digitally signed by
SALIL SAHU
Date: 14-01-2026
15:50:14

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग